



Fuelling Sustainable Growth

पत्रांक:- सीसीएल/एनईई/ईएवंएम-केंद्रीयकृत संवर्ग/2024-25/ 109 53 - 66 (H)
दिनांक:- 08, जनवरी, 2025

कार्यालय आदेश

केंद्रीयकृत ईएवंएम (इलैक्ट्रिकल) संगवर्ग के निम्नलिखित फोरमैन इनचार्ज (इलैक्ट्रिकल) ग्रेड-ए को एतद्वारा फोरमैन इनचार्ज (इलैक्ट्रिकल) ग्रेड-ए1 (एनसीडब्ल्यू-XI वेतनमान रु. 71030.56 पर) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

The under mentioned Foreman Incharge (Electrical) in T&S Grade-A of the Centralized Cadre is hereby promoted to the post of Foreman Incharge (Electrical) in T&S Grade-A1 (in the scale under NCWA-XI at Rs. 71030.56).

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पीआईएस संख्या	प्रोन्नति की आधार	वर्तमान पदस्थपना का क्षेत्र
1	इन्द्रदेव कुमार चौधरी	14340046	अनारक्षित	पिपरवार क्षेत्र
2	रामखेलावन मांझी	14351183	अनारक्षित	पिपरवार क्षेत्र
3	जैनेन्द्र भारती	14210629	अनुसूचित जाति	कथारा क्षेत्र
4	बसंत मुंडा	14317580	अनुसूचित जनजाति	उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र

इनकी पदोन्नति उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। अगला आदेश जारी होने तक वे उनके वर्तमान विभाग में ही पदस्थापित रहेंगे।

The promotion of the above mentioned employees will be effective from their actual date of joining to the promoted post and they will continue at their present Area of posting till further orders.

उपर्युक्त वर्णित कर्मी सी०सी०एल० के प्रमाणित स्थायी आदेश के खण्ड 3.6 के अनुसार उक्त पद पर छः महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

They will be on probation for a period of 06 months as per the clause 3.6 of Certified Standing Orders of the company.

इनकी इंटर-सी-सीनियारिटी अनुमोदित पैनल में इनकी वरीयता क्रम में रहेगी जो उनके पदोन्नत पद पर वास्तविक पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित नहीं होगी।

Their inter-se-seniority will remain in the same order as shown in the approved panel irrespective of his actual date of joining on promotion.

सी०सी०एल० एंव उसकी सहायक कम्पनियों के गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सुनिश्चित करने हेतु पत्रांक:- सी. आई. एल. /सी-5/जे०बी०सी०सी०आई/एस०सी/डिटरमिनेशन ऑफ सीनियरिटी/33 दिनांक: 11.02.2021 द्वारा जारी किये निर्देशों के तहत उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर यथाशीघ्र अपना योगदान दें। यदि संबंधित कर्मचारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने के 30 दिनों के अंदर पदोन्नत पद पर अपना योगदान नहीं देते हैं तो यह कार्यालय आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

ओमगा
08/01/25

In view of the CIL guideline on determination of seniority in case of Non -Executive Cadre employees of CIL and its subsidiaries circulated vide reference no. CIL/C-5B/JBCCI-X/SC/determination of seniority/33 dated 11-02-2021, the aforementioned employee is directed to report for his duty on promotion at the earliest and not later than 30 days of issue of this order. **If the concerned employee does not join within 30 days of the issuance of office order, the same shall stand cancelled.**

सम्बंधित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (प्रमाणित स्थाई आदेश के अनुसार अनुशासनात्मक अधिकारी) सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कर्मचारी का पदोन्नत पद पर योगदान तभी स्वीकार किया जाए जब उनके विरुद्ध कोई भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित नहीं हो, जिसके उपरांत ही उनका पदोन्नत पद पर योगदान प्रभावी होगा। पदोन्नत पद पर उनकी जोइनिंग रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।

The concerned GM / HOD of the Department (Disciplinary Authority as per Certified Standing Order of the Company) is to ensure that the joining to the promoted post is accepted only if there is no departmental disciplinary case pending against the concerned employee only after which this promotion would be effected. Their joining report to the promoted post must be forwarded to this office immediately, for further necessary action at this end.

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

सौम्या
08/01/25

(सौम्या सिंह)

उप प्रबंधक (का-कर्म.स्था)

सीसीएल: राँची

वितरण:-

1. महाप्रबंधक, सीसीएल, पिपरवार क्षेत्र/कथारा क्षेत्र/उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र।
2. निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
3. महाप्रबंधक, सीसीएल, कर्मचारी स्थापना, राँची।
4. महाप्रबंधक (प्रणाली), सीसीएल, राँची - सीसीएल वेबसाइट पर अपलोड हेतु
5. अमला अधिकारी (कार्मिक), सीसीएल, पिपरवार/कथारा/उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र।
6. क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, सीसीएल, पिपरवार/कथारा/उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र।
7. संबंधित कर्मचारी (द्वारा- महाप्रबंधक-संबंधित क्षेत्र)
8. संबंधित संचिका।